दिनांक 03.06.2022 को आयोजित जल जीवन मिशन के समीक्षा बैठक की कार्यवत्ति :–

दिनांक 03.06.2022 को अपरान्ह 05.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिला विकास अधिकारी,अधिशासी अभियन्ता,षष्ठम नि0ख0,उ0प्र0 जल निगम, श्री शमशेर आलम, परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0, श्री मोहसिन प्लानिंग हेड एल0एण्ड टी0, श्री अमित श्रीवास्तव एवं श्री अवधेश वर्मा उप परियोजना प्रबन्धक मेघज, श्री शत्रुघ्न कुमार, पुरूषोत्तम राम व श्री अमित सिंह सहायक अभियन्ता जल निगम , जल निगम षष्टम निर्माण खण्ड के अवर अभियन्तागण, डी0पी0एम0यू0 के डी0पी0एम0 तथा आई0एस0ए0 के सदस्यगण उपस्थित थे।

परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0 द्वारा जल जीवन मिशन के अन्तर्गत आगामी 6 माह में कराये जाने कार्यों की कार्ययोजना प्रस्तुत किया गया। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि उक्त कार्ययोजना के सापेक्ष कराये जा रहे कार्यों की अद्यतन प्रगति से प्रत्येक 15 दिवस अवगत कराते रहेंगे। परियोजना प्रबन्ध द्वारा बैठक में बताया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत जनपद में कुल 439 चयनित परियोजनाओं के सापेक्ष 311 परियोजनाओं हेतु भूमि उपलब्ध है, जिसके सापेक्ष 295 परियोजनाओं का डी0पी0आर0 तैयार कराकर शासन को प्रेषित किया जा चुका है तथा परियोजनाओं के डी0पी0आर0 तैयार किये जाने की कार्यवाही चल रही है एवं 01 परियोजना हेतु भूमि अभी उपलब्ध हुई है। 273 परियोजनाओं की वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हो गई जिसके सापेक्ष 211 परियोजनाओं का अनुबन्ध गठित किया जा चुका है तथा शेष की कार्यवाही प्रचलित है। 86 परियोजनाओं हेतु अनुपलब्ध/विवादित भूमि में से 02 परियोजनाओं का विवाद का निस्तारण करा लिया गया है। यह भी बताया गया कि वर्तमान समय में 130 परियोजनाओं का कार्य प्रारम्भ है जिसमें 80 परियोजनाओं पर 520 मजदूरों द्वारा निरन्तर कार्य किया जा रहा है। परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0 द्वारा भूमि की उपलब्धता एवं विवाद के निस्तारण हेतु उप जिलाधिकारी सदर, राजातालाब एवं पिण्डरा से सम्पर्क स्थापित किया गया। परियोजना प्रबन्धक को निर्देशित किया गया कि भूमि की उपलब्धता तथा विवादों के निस्तारण हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से निरन्तर सम्पर्क करते रहें तथा उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए अनुपालन की स्थिति से अवगत कराते रहेंगे। यह भी निर्देशित किया गया कि जो भी सड़क/ गली खोदी जायेगी उसके मरम्मत का का कार्य मानक के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ अधिकतम 10 दिनों में अनिवार्यरूप से करवा दिये जायें।

अधिशासी अभियन्ता,षष्ठम निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम को निर्देशित किया गया कि जल जीवन मिशन के अन्तर्गत पेयजल परियोजनाओं हेतु अनुपलब्ध भूमि तथा विवादित भूमि से सम्बन्धित प्रकरण का निस्तारण कराये जाने हेतु सम्बन्धित उप जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर बैठक हेतु तिथि निर्धारित कराकर बैठक की कार्यवाही सम्पन्न कराना सुनिश्चित करें तथा स्थिति से अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायें। जिला विकास अधिकारी,वाराणसी को निर्देशित किया गया कि स्वयं भी सभी उप जिलाधिकारी से उक्त सम्बन्ध में वार्ता कर प्रकरण का निराकरण कराना सुनिश्चित करायें। अधिशासी अभियन्ता जल निगम तथा परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0 को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक 15 दिवस पर आपसी बैठक कर संज्ञान में आये समस्याओं का निराकरण कराते हुए कार्यों को सुचारूरूप से ससमय सम्पादित करना सुनिश्चित करायें।

षष्ठम निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम के समस्त सहायक/ अवर अभियन्ताओं को पूर्व के बैठकों में निर्देशित किया था कि वे अपने क्षेत्र के स्थानीय मा0 विधायक जी से वार्ता कर तिथि/ समय निर्धारित कराकर पेयजल परियोजनाओं का निरीक्षण कराना सुनिश्चित करायें तथा विकास खण्ड मुख्यालय पर रात्रि निवास कर क्षेत्रीय भ्रमण के उपरान्त प्रकाश में आये समस्याओं का त्वरित निस्तारण करायें। बैठक में सहायक/ अवर अभियन्ताओं से उक्त सम्बन्ध में पूछे जाने पर उनके द्वारा संतोषजनक उत्तर नहीं दिया गया। अभी तक किसी भी सहायक/ अवर अभियन्ता द्वारा मा0 विधायक जी से वार्ता नहीं की गई और न ही विकास खण्ड मुख्यालय पर रात्रि निवास किया जा रहा है, विकास खण्ड कार्यालय पर निरन्तर उपस्थित होकर खण्ड विकास अधिकारियों से सम्पर्क भी नहीं किया जा रहा है। बार–बार निर्देश दिये जाने के उपरान्त भी सहायक/ अवर अभियन्ता द्वारा आदेशों की अवहेलना की जा रही है जो उनके धृष्टता को परिलक्षित करता है। उपरोक्त आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने तक समस्त सहायक/ अवर अभियन्ताओं का वेतन रोका जाता है तथा उक्त कृत्य के सम्बन्ध में इनके विरूद्ध आरोप पत्र निर्गत किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

परियोजना प्रबन्धक मेधज द्वारा बताया गया कि माह मई,2022 में सभी संचालित कार्य स्थलों पर 490 विजिट किया गया है तथा पाई गई कमियों/ समस्याओं का निराकरण कराया गया है। परियोजना प्रबन्धक मेधज को निर्देशित किया गया है विकास खण्ड स्तर पर आयोजित बैठक के पश्चात जो भी शिकायतें पाई गई है, उसका श्रेणीवार संख्यात्मक विवरण तैयार कर निस्तारण की स्थिति के साथ प्रस्तुत करें।

डी0पी0एम0यू0 के डी0पी0एम0 द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा कार्य स्थल का भ्रमण कर समस्याओं के निराकरण में सहयोग प्रदान किया जाता है। बैठक में डी0पी0एम0 द्वारा यह नहीं बताया जा सका कि किन-किन विकास खण्डों में कितने समस्याओं का निराकरण कराया गया है। डी0पी0एम0 को निर्देशित किया गया कि प्रत्येक माह उनके द्वारा किये गये कार्यों का विवरण उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आई0एस0ए0 के सदस्यों द्वारा बताया गया कि ग्रामीणों द्वारा सहभागिता शुल्क दिये बिना ही पेयजल कनेक्शन लेना चाहते हैं। विकास खण्ड हरहुआ सदस्य द्वार बताया गया कि ग्रामीणों को पेयजल की गुणवत्ता तथा जल जनित रोगों के सम्बन्ध में जानकारी दे कर जागरूक एवं प्रेरित किया जा रहा है, ग्राम पंचायतों में पेयजल का खाता नहीं खोला जा रहा है। अधिशासी अभियन्ता जल निगम एवं सम्बन्धित आइ0एस0ए0 सदस्यों को निर्देशित किया गया कि खण्ड विकास अधिकारी से वार्ता कर सम्बन्धित ग्राम पंचायत के आशा/ ए0एन0एम0 को साथ लगाकर उनके सहयोग से सहभागिता शुल्क जमा कराये जाने तथा कनेक्शन की कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें तथा ग्राम पंचायतों में खाता खोले जाने की कार्यवाही करायें।

अधिशासी अभियन्ता जल निगम, परियोजना प्रबन्धक एल0एण्ड टी0, मेधज व अन्य सम्बन्धित को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए कृत कार्यवाही से अवगत कराना सुनिश्चित करें।

(अभिषेक गोयल)
मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।

कार्यालय मुख्य विकास अधिकारी–वाराणसी।

पत्रांक– 691/ग्रा0पे0का0/ज0जी0मि0–बैठक कार्य0/2022–23 दिनांक– 16 जून,2022

प्रतिलिपि :– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1 – जिलाधिकारी महोदय,वाराणसी की सेवा में अवलोकनार्थ प्रेषित।
2 – मुख्य अभियन्ता, वाराणसी क्षेत्र, उ0प्र0 जल निगम, ग्रामीण–वाराणसी।
3 – उप जिलाधिकारी, सदर, राजातालाब एवं पिण्डरा, जनपद–वाराणसी।
4 – अधिशासी अभियन्ता,षष्ठम निर्माण खण्ड,उ0प्र0 जल निगम,वाराणसी।
5 – परियोजना प्रबन्धक, एल0एण्ड टी0, अशोक नगर कालोनी–वाराणसी।
6 – परियोजना प्रबन्धक, मेधज,नदेसर–वाराणसी
7 – समस्त खण्ड विकास अधिकारी, जनपद–वाराणसी।
8 – समस्त सहायक /अवर अभियन्ता, षष्ठम निर्माण खण्ड,जल निगम, द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम–वाराणसी।
9 – डी0पी0एम0 तथा आई0एस0ए0 के सदस्य द्वारा अधिशासी अभियन्ता, जल निगम–वाराणसी।

मुख्य विकास अधिकारी
वाराणसी।